न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई,** आर0ए0एस0

राजस्व **वाद संख्या** : **87/2020**

GCMS NO. : **2020/00141**

–: प्रार्थीगण :–

1. हरदीनरम उर्फ हरिय पुत्र मंगला फौत के कायम मुकाम
   1.1 कानाराम पुत्र हरदीनराम
   1.2 रतनाराम पुत्र हरदीनराम
   1.3 मोकली त्नी हरदीनराम
   1.4 शोभा पुत्री हरदीनराम
   1.5 सुशिला पुत्री हरदीनराम
   जातियान जाट निवासी बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. भंवरूराम पुत्र गिरधारी फौत के कायम मुकाम
   1.1 स्वरूपराम पुत्र भंवरूराम
2. मिश्रीलाल पुत्र भंवरूराम
3. फुली देवी पत्नी प्रताप
4. भानाराम पुत्र प्रताप
5. बक्साराम पुत्र प्रताप जातियान जाट निवासीगण बलुन्दा तहसील जैतारण जिला– पाली(राज.)।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी</u> बसिलसिले राजस्व वादपत्र संख्या 135/2013 अनवान भंवरू वगैरह बनाम हरदीनराम उर्फ हरीया वगैरह दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा तारीख निर्णय डिक्री दिनांक 20.05.2016

तारीख रजूः–14.07.2020

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 07/0[illegible]/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थनाअन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी, के तहत् इस आशय का पेश किया किअप्रार्थीगण ने एक राजस्व वादपत्र संख्या 135/2013 अनवान भंवरूराम व अन्य बनाम हरदीनराम उर्फ हरीया का अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रार्थीगण के पिता हरदीनराम उर्फ हरीया के इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1196 रकबा 04–04 बीघा, खसरा संख्या 1198 रकबा 88–08 बीघा, खसरा संख्या 1192 रकबा 106–16 बीघा, खसरा संख्या 1231 रकबा 53–01 बीघा, खसरा संख्या 1195 रकबा 4–09 बीघा, खसरा संख्या 1194 रकबा 9–04 बीघा खसरा संख्या 1227 र[illegible]–00 बीघा के 1/2 हिस्से के खातेदार गिरधारी पुत्र पीरूजी [illegible] के खसरा संख्या 1197 रकबा 01–00 बीघा [illegible] बैरा के हकदार [illegible]रधारी पुत्र पीरूजी थे लेकिन सेटलमेंट के समय उक्त [illegible]भूमि ठकरानी भटिया[illegible]बकंवर जोजे ठाकुर शेरसिंह निवासी बलून्दा के नाम दर्ज हो गई जबकि मौके पर 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त गिरधारी जी का था तथा शेष भूमि पर दीगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण (जिला–पाली)

काश्तकारो का कब्जा काश्त था। उक्त भूमि महारानी सा के नाम दर्ज हो जाने के बाद वर्ष 1962 में वादीगण के पिताजी व पूर्वज गिरधारीजी ने एक बैचान विलेख अपने पक्ष में लिखवा दिया एवं उस समय प्रतिफल की राशि 02 हजार रूपये गिरधारी जी ने उछबकंवर को दे दिये तत्पश्चात उक्त बेचान विलेख के बाद म्युटेशन की कार्यवाही हुई जिसमें म्युटेशन संख्या 119 भरा गया जिसमें तत्कालीन हल्का पटवारी ने गलती से म्युटेशन की कार्यवाही में हरीया पुत्र गिरधारी जी के नाम की प्रविष्ठि कर दी जबकि हरीया उर्फ हरदीनजी सन् 1962 में मंगला जी के गोद गये हुए थे एवं 2000 रूपये की राशि गिरधारी जी के तीनो पुत्रो भंवरू, प्रताप व मिश्रीलाल जी दिए थे मौके पर इनका कब्जा था परन्तु राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन संख्या 119 से हरीया उर्फ हरदीन के नाम की गलत प्रविष्ठि हो गयी जिसे वादीगण जरिए घोषणा के हटवाने के अधिकारी है। इसलिए उक्त आराजी में हरदीन उर्फ हरीया का नाम हटाकर के वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावे। इस आशय का दावा दिनांक 10.05.2013 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी अर्थात प्रार्थीगण के पिता को जरिए सम्मन दिनांक 10.06.2013 को तलब किया गया तथा दिनांक 10.06.2013 को हरदीन उर्फ हरीया अर्थात प्रतिवादी बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी और दिनांक 20.05.2016 को एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई उक्त दिनांक 20.05.2016 को प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किए गये डिक्री को सेटेसाइट करवाने का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष निम्न आधारो पर पेश है–

1. राजस्व वादपत्र संख्या 135/2013 जो पेश हुआ और उसमें जो सम्मन जारी किए गये उस सम्मन की प्रोपर प्रार्थीगण के पिता के विरूद्ध कोई तामिल ही नही हुई तथा न ही प्रार्थीगण के पिता को कोई सम्मन व नोटिस की पुष्ठ पर प्रार्थीगण के पिता या उनके परिवार के सदस्यो के कोई हस्ताक्षर व अंगुठा निशान नही है जो सम्मन पर तामिल बताई गई है वह गलत बतायी गई है तथा वादीगण/अप्रार्थीगण ने तामिल कुनिन्दा से मिलकर के झूठी तामिल का इन्द्राज करवाकर के एकपक्षीय कार्यवाही अपने पक्ष में करवा ली एवं गलत तथ्य वादपत्र में अंकित करके अपने पक्ष में दावा डिक्री करवा लिया। इसलिए प्रार्थीगण के विरूद्ध की गई एकपक्षीय डिक्री को सेटेसाहड कर प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जावे जिससे कि प्रार्थीगण अपना उचित व प्रोपर जवाब प्रस्तुत कर अपने दस्तावेजात प्रस्तुत कर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके जिससे न्याय निर्णय से सुविधा रहेगी।
2. वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा दावे में जो तथ्य अंकित किए है वह तथ्य तोड़ मरोड़कर पेश किए और उन तथ्यों को सही साबित करने के लिए वादीगण/अप्रार्थीगण ने सम्मन पर गलत तामिल करवाकर के प्रार्थीगण को सुनवाई के अवसर से वंचित रखा है जब वादपत्र दिनांक 10.05.2013 को न्यायालय में पेश हुआ एवं दिनांक 10.06.2013 को प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो गई जबकि वाद का निर्णय दिनांक 20.05.2016 को हुआ और इस दौरान वादपत्र एकपक्षीय आदेश में ही चलता रहा तथा वादपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात हरदीन उर्फ हरीया ने अपने नाम की उक्त आराजी अपने दोनो पुत्रो कानाराम व रतनाराम के पक्ष में बक्सीसनामा तकमीन कर दिया और जिसकी जानकारी वादीगण/अप्रार्थीगण को होने पर उन्होने सिविल न्यायालय में उक्त आराजी के संबंध में बक्सीसनामा को निरस्त करवाने का वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है और पंजीबद्ध दस्तावेज होने के बावजूद भी वादीगण/अप्रार्थीगण ने जानबूझकर न्यायालय को सही तथ्य नही बताकर के एकपक्षीय गलत डिक्री पारित करवा ली जबकि डिक्री पारित होने से पूर्व उक्त आराजी हरदीन उर्फ हरीया के नाम रही नही थी। जिसकी जानकारी वादीगण/अप्रार्थीगण को होने के बावजूद भी न्यायालय से उक्त तथ्य छुपाये। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 10.06.2013 को जो एकपक्षीय कार्यवाही की गई है वह प्रार्थीगण के हितो पर भारी कुठाराघात है तथा जो सम्मन प्रार्थीगण को प्राप्त होने चाहिए थे वो प्राप्त हुए ही नही और न ही उक्त वादपत्र की प्रार्थीगण को कोई जानकारी थी। दिनांक 08.07.2020 को प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से नकले लेने के दौरान वहां पर उक्त डिक्री की जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने उक्त वादपत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर के डिक्री प्राप्त कर ली गई है तब अन्दर मियाद यह प्रार्थना पत्र वास्ते एकपक्षीय डिक्री को सेटेसाईड करवाने का श्रीमान के समक्ष पेश है।

3. वादपत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता की खरीदशुदा आराजी है जिसको स्वयं प्रार्थीगण के पिता ने प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की थी तब से मौके पर काबिज है और वादीगण/अप्रार्थीगण ने वादपत्र में झूठे बेबुनियाद तथ्य अंकित कर प्रार्थीगण को उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से वंचित करने की नियत से तामिल कुनिन्दा से मिलकर के झूठी तामिल रिपोर्ट करवाकर एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की है और यदि उक्त एकपक्षीय डिक्री के आधार पर यदि वादीगण/अप्रार्थीगण अपना नाम इन्द्राज करवाते है तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से हमेशा के लिए महरूम हो जायेगे तथा प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिए जो एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है उसे अपास्त/सेटेसाईड किया जावे अन्यथा प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से हमेशा के लिए महरूम होना पड़ेगा।

4. न्यायालय हाजा द्वारा पारित की गई एकपक्षीय डिक्री प्रभाव में रहकर के प्रार्थीगण के नाम हटाकर के अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होता है तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से महरूम हो जायेंगे क्योकि जो एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है वह प्रार्थीगण को बिना सूने पारित की गई है प्रार्थीगण उक्त वादपत्र में अपना समुचित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते है जिससे कि न्यायालय हाजा के समक्ष वास्तविक व तथ्यात्मक स्थिति सामने आ सके और न्याय मिलने में भी सुविधा रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

इसलिए प्रार्थीगण के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को सेटेसाईड किया जाकर प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे जिससे कि प्रार्थीगण अपना पक्ष रख सके।

5. प्रार्थीगण को जानकारी होते हुए ही वादपत्र व डिक्री तथा आदेशिका की प्रताणित प्रतियां प्राप्त कर यह अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः वादपत्र संख्या 135/2013 में दिनांक 20.05.2016 को की गई एकपक्षीय डिक्री को सेटेसाईड किया जाकर पुनः उक्त वादपत्र को नये नम्बर पर इन्द्राज किया जाकर प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 5 की ओर से वकील सुरेश चौधरी की ओर से वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण की ओर से श्रीमान के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था, जिसकी तामिल प्रतिवादी हरदीनजी को हो गई थी। बावजूद तामिल के भी हरदीनराम के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 10.06.2013 को दिये जाकर प्रकरण में आगामी विचारण करते हुए अप्रार्थीगण के इस वादपत्र को डिक्री किया गया है जो विधिक प्रावधानो अनुसार सही है। साथ ही हरदीनराम के वारिसान ने बिना किन्ही समुचित आधारो के निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जिकस पद वाईज जवाब निम्नानसुार है-

1. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। न्यायालय श्रीमान द्वारा इस वादपत्र में जारी सम्मन की तामिल हरदीनराम पर हो गई थी। इस बाबत् तामिल कुनिन्दा स्वयं ने तामिल होने की रिपोर्ट अपनी ओर से की है। इस प्रकार से पर्याप्त तामिल होने के बाद ही अदालत श्रीमान के पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा हरदीनराम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाने के आदेश पारित किए गये। तत्पश्चात इस वादपत्र में आगामी कार्यवाही की गई है जो विधिक प्रावधानो अनुसार सही है। इस पद में प्रार्थीगण की ओर से यह अंकित करना भी कतई गलत है कि अप्रार्थीगण ने अपने वादपत्र में गलत तथ्य अंकित करते हुए वादपत्र को निर्णित करवाया है। अप्रार्थीगण ने अपनी ओर से प्रस्तुत अपने वादपत्र को पर्याप्त साक्ष्य व सबूतो से बखूबी साबित किया है। जिस पर अदालत श्रीमान द्वारा वादपत्र को साबित होना मानकर डिक्री किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित आधार कतई झूठे व निराधार है जिन्हें जवाब देहन्दागण अस्वीकार करते हैं। अप्रार्थीगण भंवरूराम व अन्य की ओर से अपने हक अधिकारो के आधार पर अपना मूल वादपत्र पेश किया गया था। तन्दुपरान्त हरदीनराम को अदालत श्रीमान द्वारा वास्ते सुनवाई हेतू

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पर्याप्त अवसर दिया गया तन्दुपरान्त हरदीनराम के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किए गये साथ ही दौराने विचारण मिश्रीलाल व अन्य की ओर से पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किए गये जिस पर अदालत श्रीमान द्वारा इस मूल वादपत्र को डिक्री किया गया है। दौराने वादपत्र के हरदीनराम उर्फ हरीया ने वादग्रस्त आराजी को अपने पुत्र. कानाराम एवं रतनाराम के. पक्ष में जरिए बक्शीशनामा के अन्य बक्शीश कर भी दिया है तो भंवरूराम व अन्य की ओर से प्रस्तुत किए गये इस मूल वादपत्र की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है। साथ ही सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम धारा 152 के तहत दौराने वाद विचारण के यदि वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द किया जाता है तो वह मूल वादपत्र के निर्णयाधीन रहेगी। इसलिए किए गए बक्शीशनामा का कोई विधिक अस्तित्व नही रहा है। उसके बावजूद भी हरदीनराम द्वारा किए गये बक्शीशनामा से मिश्रीलाल व अन्य के हक अधिकारो पर भविष्य में कोई विपरीत प्रभाव नही पड़े एवं ऐसे शून्रू दस्तावेजात के आधार पर कानाराम व अन्य इस वादग्रस्त जायदाद में अपना हक अधिकार होना नही बताते इसी मंशा से ऐसे दस्तावेजात को शून्य करवाने हेतू सिविल न्यायालय में वादपत्र पेश किया हुआ है। इस प्रकार से मिश्रीलाल व अन्य ने अपनी तरफ से कोई तथ्य नही छुपाया है एवं किया गया बक्शीशनामा शून्य दस्तावेजात् है। इस प्रकरण में दौराने वाद विचारण के हरदीनराम द्वारा वादग्रस्त जायदाद को जरिए बक्शीशनामा के अन्य हस्तान्तरण का दस्तावेजात करने से ही यह साबित है कि हरदीनराम व उनके वारिसान की मंशा शुरू से ही साफ नही रही है एवं हरदीनराम एवं उनके वारिसान ने अदालत श्रीमान के समक्ष विचाराधीन इस वादपत्र की कार्यवाही को मारने की मंशा से कूटरचित व फर्जी बक्शीशनामा निष्पादित किया है। एवं अदालत श्रीमान के समक्ष राजस्व वादपत्र के विचाराधीन होने की हरदीनराम एवं उसके वारिसान को भलीभांति जानकारी होने से ही उन्होने इस पद में वर्णित बक्शीशनामा निष्पादित करवाया है अन्यथा इस प्रकार का बक्शीशनामा हरदीनराम के जीवनकाल में करवाये जाने की कतई कोई आवश्यकता नही रही है। न ही अपने पिता के जीवनकाल में पुत्रो को सम्पूर्ण जायदाद बक्शीश करने की कोई प्रथा/रिवाज पक्षकारो के जाति समाज में रहा है। इसलिए भी हरदीनराम व उनके वारिसान को इस वादपत्र की जानकारी होना बखुबी साबित है साथ ही प्रार्थीगण ने दिनांक 08.07.2020 को उल्लेख प्रार्थीगण ने यह कार्यवाही करने की मंशा से झूठा किया है। दि[illegible] 07.2020को इस प्रकार की नकले लेने से ही प्रार्थीगण [illegible] चला हो, ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नही होने के बावजूद भी प्रार्थीगण ने कपोल कल्पित आधार तैयार करते हुए यह निराधार प्रार्थना पत्र [illegible] किया है जो काबिल खारिज के है साथ ही प्रार्थीगण स्वयं की पिलिडिंग के अनुसार इस मूल वादपत्र का

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

निस्तारण दिनांक 20.05.2016 को हो गया है तो वादपत्र की डिक्री होने के इतने वर्षो बाद गुजरने म्याद के यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है।

3. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वणित कथन व लगाये गये आरोप असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। हरदीनराम द्वारा भूमि खरीद करने से संबंधित कथन भी कतई गलत है। मौके पर हरदीनराम व उनके वारिसान का कोई कब्जा व हक अधिकार नही रहा है न ही वर्तमान में है। मिश्रीलाल व अन्य की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं इस वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य व सबूत पूर्णरूप से सही है। साथ ही इस पद में वर्णित अनुसार झूठी तामिल करवाने से संबंधित आरोप भी कतई गलत है। अदालत श्रीमान द्वारा पारित डिक्री की पालना पूर्व में हो चूकी है। इसलिए भी इस डिक्री को अपास्त किया जाना कतई आवश्यकता नही है।

4. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार हे। मौके पर हरदीनराम व उनके वारिसान का कोई कब्जा व हक अधिकार नही रहा है न ही वर्तमान में है। मिश्रीलाल व अन्य की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं इस वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य व सबूत पूर्णरूप से सही है।

5. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है इस प्रकार से इस कानूनी बिनाय पर भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

6. जवाब देहन्दागण की ओर से प्रस्तुत मूल वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में हरदीनराम प्रतिवादी थे। उक्त हरदीनराम का देहान्त कब हुआ इस बाबत् प्रार्थीगण ने अपने इस प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नही किया है न ही हरदीनराम के वारिसान ने इस मूल वादपत्र में वाद पक्षकार बनने हेतू कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से कानाराम व अन्य इस मूल वादपत्र में वाद पक्षकार ही नही है। न ही वाद पक्षकार बनने हेतू कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ है तो हरदीनराम के वारिसान की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र विधिक रूप से अनुज्ञेय नही होने से काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावे।बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई, जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित बहस में कथन किया कि भंवरूराम के कायम मुकाम वगैरा [illegible] हरदीनराम सभी गिरधारी जी के पुत्र थे। जिनमें से प्रार्थी हरदीनराम [illegible] मंगलारामजी के कोई जायन्दा संतान नही होने की वजह से मंगलारामजी के जीवनकाल में अपने 17 वर्ष की अवस्था में संवत् 2010 में गोद गये थे एवं उक्त हरदीनराम अपने दत्तक पिता मंगलाराम के चल अचल जायदाद पर काबिज हुए थे। तत्पश्चात मंगलाराम के देहान्त के बाद हरदीनराम ने प्रार्थीगण भंवरूराम व अन्य के विरूद्ध एक राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण

ाद संख्या 10/1981 पेश करते हुए भूमि राजस्व रेकर्ड मं अपने नाम से दर्ह करवने का अनुतोष चाहा था। जिसमें पक्षकारो के बीच राजीनामा अनुसार राजस्व मौजा बलुन्दा में स्थित खसरा संख्या 255 से 258 व 265 की भूमि में से 1/4 वां हिस्सा हरदीनराम उर्फ हरीया को दिया गया तथा अप्रार्थीगण भंवरूराम सहित तीनो भाई शेष 1/4 वे हिस्से में रहे थे। इसी प्रकार खसरा संख्या 14, 161, 162, 160 में हरदीनराम उर्फ हरीया का 1/16 वां हिस्सा तथा अप्रार्थीगण भंवरूराम सहित तीनो भाईयो का 1/16 वां हिस्सा रखा गया। साथ ही खसरा संख्या 266, 272, 172, 182, 189, 250, 254 कुल भूमि अकेले हरदीनराम उर्फ हरीया को रखी गई। जिससे संबंधित किया गया राजीनामा, पारित डिक्री एवं सम्पूर्ण पत्रावली पर पूर्व में ही अदालत श्रीमान के समक्ष पेश की जा चूकी है। जिसमें किए गये राजीनामा के अनुसार हरदीनराम उर्फ हरीया को गिरधारी की जमीन में कोई हक नही मिलेगा। इस प्रकार से प्रकरण संख्या 10/1981 निर्णित होकर हरदीनराम को मंगलाराम की सम्पूर्ण जायदाद संवत् 2010 यानि सन् 1954 में ही मिल चूकी थी। इस मूल वादपत्र संख्या 135/2013 में वर्णित खसरा संख्या 1196, 1198, 1192, 1231, 1195, 1194, 1227 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि पर सेटलमेंट के पूर्व से ही कब्जा काश्त गिरधारीराम पुत्र पीरूजी का था। व बेरा खसरा संख्या 1197 में भी 1/2 वां हिस्सा गिरधारीराम पुत्र पीरूजी का था। लेकिन सेटलमेंट के समय उक्त भूमि ठकराणी जी उच्छब कंवर जोजो शेरसिंह जी के नाम से दर्ज हो गयी थी। उस समय भी 1/2 वे हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त गिरधारीराम जी का रहा था। जिस पर वर्ष 1962 में गिरधारीराम पुत्र पीरूजी ने अपने पास से 2000/- रूपये उच्छब कंवर जोजे शेरसिंह जी के प्रतिनिधि को देकर अपने जायन्दा पुत्रो के नाम से लिखत करवाया था। जिसमें सहवन से गोद गये पुत्र हरदीनराम उर्फ हरीया का नाम भी गिरधारी के पुत्र की हैसियत से लिख दिया गया था। हरदीनराम उर्फ हरीया ने कोई राशि अदा नही की। न ही इन ऊपर वर्णित सम्पूर्ण खसरा संख्या 1196, 1198, 1192, 1231, 1195, 1194, 1227 का कोई कब्जा लिया था। इस प्रकार से राजस्व रेकर्ड में हरदीनराम के नाम का गलत अंकन चल रहा था। वर्ष 1959 व 1962 में हरदीनराम उर्फ हरीया गिरधारीजी के पुत्र नही होकर मंगलारामजी का दत्तक पुत्र था। इस प्रकार से इन ऊपर वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि में हरदीनराम का कोई कब्जा व हक अधिकार शेष नही रहा था। जिस पर प्रार्थी भंवरूराम व अन्य ने अदालत श्रीमान के समक्ष वाद संख्या 135/2013 दिनांक 10.03.2013 को पेश किया था। तत्पश्चात वाद संख्या 135/2013 में [illegible] हरदीनराम को सम्मन मय वादपत्र की प्रति एवं दस्तावेजात के प्रेषित [illegible] थी। जिस पर उक्त सम्मन प्रतिवादी हरदीनराम को तामिल कुनिन्दा [illegible] देते हुए उसकी प्राप्ति स्वरूप हरदीनराम के अंगूठा निशान सम्मन पर [illegible]वायी थी। असल सम्मन मूल पत्रावली पर है। इस प्रकार से प्रतिवादी हरदीनराम की तामिल होने के बाद नियत तारीख 10.06.2013 को प्रतिवादी हरदीनराम तारीख पेशी पर उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

ही होने से इनके विरूद्ध उसी दिन दिनांक 10.06.2013 को ही एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने के आदेश पारित हुए है। तत्पश्चात लम्बे समय तक पत्रावली साक्ष्य वादी हेतू नियत रही थी। इसी दौरान प्रतिवादी हरदीनराम ने इस वादपत्र में वर्णित खसरा संख्या 1197, 1198, 1227, 1231, 1192, 1194, 1196 की भूमि में से 1/8 वे हिस्से की भूमि का बक्शीशनामा अपने पुत्र/प्रार्थीगण कानाराम व रतनाराम के पक्ष में दिनांक 03.06.2015 को निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया। इसी प्रकार खसरा संख्या 1195 में से 1/4 वे हिस्से का पंजीबद्ध बैचाननामा भी पंजीबद्ध कर निष्पादित करवा दिया। जबकि हरदीनराम को पूर्व से ही यह भलीभांति मालूम था कि इस भूमि के बाबत् राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इस प्रकार से हरदीनराम द्वारा किए गए बक्शीशनामा व बैचाननामा दिनांक 03.09.2015 को शून्य घोषित करवाने हेतू अप्रार्थीगण मिश्रीलाल व अन्य ने न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय के समक्ष दिवानी वाद संख्या 11/2016 पेश किया था। उक्त वादपत्र में भी अप्रार्थीगण मिश्रीलाल व अन्य ने अदालत श्रीमान के समक्ष विचाराधीन इस वादपत्र बाबत् पद संख्या 05 में उल्लेख किया है। दिवानी वाद की तामिल होने पर प्रार्थीगण कानाराम व रतनाराम एवं उनके पिता हरदीनराम की ओर से समुचित जवाबदावा सिविल न्यायालय में दिनांक 04.08.2016 को पेश किया जा चुका है। जिससे भी साबित है कि उक्त प्रार्थीगण कानाराम व अन्य अदालत श्रीमान के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 135/2013 की भलीभांति जानकारी हो गई थी। दिवानी वाद संख्या 11/2016 की आदेशिका वादपत्र की प्रति भी जवाब के साथ पेश की हुई है। जिससे भी साबित है कि प्रार्थीगण हरदीनराम व उसके वारिसान को दिनांक 10.06.2013 के पूर्व से ही लगातार वादपत्र की जानकारी रही है। इस वादपत्र का निस्तारण दिनांक 20.05.2016 को लोक अदालत केम्प बलुन्दा में डिक्री किया गया है जिसकी भी प्रार्थी हरदीनराम व उनके वारिसन को भलीभांति जानकारी रही है। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने तामिल नही होने का झूठा उज्जर लिया है जो गलत है। दौराने वादपत्र संख्या 135/2013 में दौराने विचारण वादपत्र के हरदीनराम उर्फ हरीया ने वादग्रस्त भूमि को अपने पुत्र कानाराम व रतनाराम के पक्ष में जरिए बक्शीशनामा के अन्य बक्शीश कर भी दिया है तो भंवरूराम व अन्य की ओर से प्रस्तुत किए गये इस मूल वादपत्र की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है। साथ ही सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत दौराने वाद विचारण के यदि वादग्रस्त जायदाद को खुर्द बुर्द किया जाता है तो वह मूल वादपत्र के निर्णयाधीन रहेगी। इसलिए किए गए बक्शीशनामा का कोई विधिक अस्तित्व नही रहा है। उसके बावजूद भी हरदीनराम द्वारा किए गए बक्शीशनामा से मिश्रीलाल व अन्य के हक अधिकारो पर भविष्य में कोई विपरीत प्रभाव नही पड़े एवं ऐसे शून्य दस्तावेजात् के आधार पर कानाराम व अन्य इस वादग्रस्त जायदाद में अपना हक अधिकार होना नही बतावे इसी मंशा से ऐसे दस्तावेजात को शून्य करवाने के लिए सिविल न्यायालय में वादपत्र पेश किया हुआ है। इस प्रकार से मिश्रीलाल व अन्य ने अपनी तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

ने कोई तथ्य नही छुपाया है एवं किया गया बक्शीशनामा शून्य दस्तावेज है। इस प्रकरण में दौराने वाद विचारण के हरदीनराम द्वारा वादग्रस्त जायदाद को जरिए बक्शीशनामा के अन्य हस्तान्तरण का दस्तावेज करने से ही यह साबित है कि हरदीनराम व उनके वारिसान की मंशा शुरू से ही साफ नही रही है एवं हरदीनराम व उनके वारिसान ने अदालत श्रीमान के समक्ष विचाराधीन इस वादपत्र की कार्यवाही को मारने की मंशा से कूटरचित एवं फर्जी बक्शीशनामा निष्पादित किया है। एवं अदालत श्रीमान के समक्ष राजस्व वादपत्र के विचाराधीन होने की हरदीनराम एवं उसके वारिसान को भलाभांति जानकारी होने से ही उन्होने इस पद में वर्णित बक्शीशनामा निष्पादित करवाया है अन्यथा इस प्रकार का बक्शीशनामा हरदीनराम के जीवनकाल में करवाये जाने की कतई कोई आवश्यकता नही रही है। न ही अपने पिता के जीवनकाल में पुत्रो को सम्पूर्ण जायदाद बक्शीश करने की कोई प्रथा/रिवाज पक्षकारो के जाति समाज में रहा है। इसलिए भी हरदीनराम व उनके वारिसान को उस वादपत्र की जानकारी होना बखूबी साबित है साथ ही प्रार्थीगण ने दिनांक 08.07.2020 का उल्लेख प्रार्थीगण ने यह कार्यवही करने की मंशा से झूठा किया है। दिनांक 08.07.2020 को इस प्रकार की नकले लेने से ही प्रार्थीगण को मूल वादपत्र बाबत् पता चला हो ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नही होने के बावजूद भी प्रार्थीगण ने कपोल कल्पित आधार तैयार करते हुए यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है साथ ही प्रार्थीगण स्वयं की पिलिडिंग के अनुसार इस मूल वादपत्र का निस्तारण दिनांक 20.05.2016 को हो गया है तो वादपत्र की डिक्री होने के इतने वर्षो बाद गुजरने म्याद के यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज होने से खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मूल वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में हरदीनराम प्रतिवादी थे। तथा उक्त प्रतिवादी हरदीनराम के विरूद्ध दिनांक 10.06.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने के आदेश अदालत श्रीमान द्वारा पारित हुए है। उक्त आदेशो को किसी भी सक्षम न्यायालय ने अपास्त नही किया है एवं एक पक्षीय आदेश दिनांक 10.06.2013 आज दिन तक प्रभावी है। जिनके प्रभाव में रहते हुए पारित डिक्री दिनांक 20.05.2016 को अपास्त किया जाना कतई विधि सम्मत नही है। इसलिए भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मूल वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में हरदीनराम प्रतिवादी थे। उक्त हरदीनराम का देहान्त कब हुआ इस बाबत् प्रार्थीगण ने अपने इस प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नही किया है न ही हरदीनराम के वारिसान ने इस मूल वाद में वाद पक्षकार बनने हेतू कोई आवेदन पत्र पेश किया है। इस प्रकार से प्रार्थीगण इस मूल वादपत्र में वाद पक्षकार ही नही है। न ही वाद पक्षकार बनने हेतू कोई आवदेन पत्र प्रस्तुत किया है तो हरदीनराम के वारिसान की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र विधिक रूप से अनुज्ञेय नही होने से काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावे। हरदीनराम के विरूद्ध दिनांक 10.06.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

जाने के आदेश पारित होकर मूल वादपत्र का निस्तारण दिनांक 20.05.2016 को किया गया है। इस प्रकार से उक्त एकपक्षीय आदेश व एकपक्षीय डिक्री होने के वर्षो बाद बिना किन्ही आधारो के यह निराधार प्रार्थना पत्र बाद गुजर जाने म्याद के पेश किया गया है जो म्याद अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के आधार पर काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण के पक्ष में लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया जाकर हमने सम्मानपूर्वक अवलोकन करते हुए प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया–

1. सी.सी.सी 2013(3) पेज नम्बर 1
2. सी.सी.सी 2014(3) पेज नम्बर 225
3. सी.सी.सी 2014(1) पेज नम्बर 18
4. डी.एन.जे 2005(3) पेज नम्बर 1660
5. डी.एन.जे 2005 पेज नम्बर 228
6. डी.एन.जे 2008(2 पेज नम्बर 852
7. डी.एन.जे 2010(1) पेज नम्बर 475

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं लिखित बहस अप्रार्थीगण का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के राजस्व वादपत्र संख्या 135/2013 वादीगण भंवरू व अन्य बनाम प्रतिवादीगण हरदीनराम उर्फ हरीया निर्णयन डिक्री दिनांक 20.05.2016 को अपास्त किए जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत उपर्युक्त वादपत्र दिनांक 10.05.2013 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी अर्थात प्रार्थीगण के पिता को जरिए सम्मन दिनांक 10.06.2013 को तलब किया गया तथा दिनांक 10.06.2013 को हरदीन उर्फ हरीया अर्थात प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 20.05.2016 को एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई। उपर्युक्त वादपत्र में जारी सम्मन की प्रोपर तामिल प्रार्थीगण के पिता के विरूद्ध नही हुई तथा न ही प्रार्थीगण के पिता को कोई सम्मन या नोटिस मिला तथा [illegible] की पुष्ट पर प्रार्थीगण के पिता या उनके परिवार के सदस्यो के कोई हस्ताक्षर या अंगूठा निशान है। जो सम्मन पर तामिल बताई गई है व [illegible] गलत रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। तत्पश्चात एकपक्षीय डिक्री जारी हुई। वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा वादपत्र में तथ्य तोड़ मरोड़कर पेश किए तथा प्रार्थीगण को अपना समुचित पक्ष रखने का अवसर से वंचित किया गया। प्रार्थीगण को दिनांक 08.07.2020 को हल्का पटवारी से नकल लेने पर उक्त डिक्री की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

हुई। अतः प्रकरण में प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतू प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के अनुरूप समुचित अवसर प्रदान किया जावे एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करते हुए प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी एकपक्षीय डिक्री दिनांक 20.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

2. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब एवं लिखित बहस में प्रार्थीगण के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादपत्र संख्या 135/2013 दिनांक 10.03.2013 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रतिवादी हरदीनराम को सम्मन मय वादपत्र की प्रति एवं दस्तावेजात प्रेषित किए गए तथा सम्मन पर प्रतिवादी हरदीनराम के अगूंठा निशान द्वारा तामिल करवाई जाकर असल सम्मन मूल पत्रावली पर है, नियत दिनांक 10.06.2013 को प्रतिवादी हरदीनराम तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध उसी दिन एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित हुए तत्पश्चात पत्रावली शहादतवादी में नियत है। वादग्रस्त आराजी में से 1/8 हिस्से की भूमि का बक्शीश नामा प्रतिवादी हरदीनराम ने अपने पुत्र एवं प्रार्थीगण कानाराम व रतनाराम के पक्ष में दिनांक 03.09.2015 को एवं खसरा संख्या 1195 में से 1/4 वे हिस्से का बैचाननामा पंजीबद्ध एवं निष्पादित करवा दिया। जबकि हरदीनराम को पूर्व से ही इस भूमि बाबत् राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की जानकारी थी। वादपत्र दिनांक 20.05.2016 को लोक अदालत कैम्प बलून्दा में डिक्री किया गया जिसकी जानकारी भी प्रतिवादी हरदीनराम एवं उनके वारीसान को थी। प्रतिवादी हरदीनराम के विरूद्ध दिनांक 10.06.2013 को किया गया एकपक्षीय कार्यवाही आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है तथा उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय ने अपास्त नही किया है जिसके प्रभाव में रहते हुए पारित डिक्री दिनांक 20.05.2016 को अपास्त किया जाना कतई विधिसंगत नही है। प्रार्थना पत्र म्याद अवधि गुजर जाने के बाद प्रस्तुत किया है अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय डिक्री दिनांक 20.05.2016 की जानकारी दिनांक 08.07.2020 को प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से नकल लेने के दौरान होना अंकित किया है। तथा न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2020 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उक्त एकपक्षीय डिक्री की जानकारी दिनांक 08.07.2020 से पूर्व होने के संबंध में कोई ठोस, विश्वसीय एवं लिखित दस्तावेजात् प्रस्तुत नही कर केवल लिखित बहस में यह कथन किया है कि प्रार्थीगण को [illegible] डिक्री की पूर्व से ही भलीभांति जानकारी थी। क्योकि इनके [illegible] प्रस्त आराजी का बैचान व बक्शीशनामा आदि करवाया है [illegible] इससे संबंधित अन्य वाद भी विचाराधीन है। लेकिन उक्त कथनो से यह साबित नही होता है कि प्रार्थीगण या इनके पिता को दिनांक 08.07.2020 से पूर्व प्रश्नगत एकपक्षीय डिक्री दिनांक 20.05.2016 की जानकारी थी। अतः हमारे विनम्र अभिमत में उपर्युक्त प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत वादपत्र संख्या 135/2013 से संबंधित आदेशिका, निर्णयन एवं डिक्री, वादपत्र एवं सम्मन की प्रतियां के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.04.2013 को प्रार्थीगण के पिता हरदीनराम उर्फ हरीया के विरूद्ध दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जो दिनांक 10.05. 2013 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.06.2013 नियत की गई। आदेशिका दिनांक 10.06. 2013 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजे दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते शहादतवादी आयन्दा दिनांक 02.07.2013 को पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली शहदातवादी में विचाराधीन रही। एवं आदेशिका दिनांक 20.05. 2016 के अनुसार पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बलून्दा में मृतक वादी भंवरू का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी भंवरूराम के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिये जाकर संशोधित टाईटल शामिल पत्रावली कर साक्ष्य वादी ली जाकर वादपत्र निर्णित किया जाकर डिक्री कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.10.2019 को वादी के प्रार्थना पत्र पर अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. पर संशोधित डिक्री जारी की गई।

5. आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विधिक प्रावधान निम्नानुसार है– ***"प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना– किसी ऐसे मामलो में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायलय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामिल सम्यक रूप से नही की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनो पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहॉ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।"***

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वादपत्र संख्या 135/2013 में प्रतिवादी हरदीन राम के विरूद्ध दिनांक 10.06.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही आदेश किये गये, तथा प्रकरण में [illegible] 20.05.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प बलून्दा में [illegible] प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, संशोधित शीर्षक प्राप्त कर वादी[illegible] की साक्ष्य लेकर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उसी दिन प्रकरण निर्णित [illegible]या जाकर डिक्री किया गया। चुंकि यह सुस्पष्ट है कि लोकअदालत में प्रकरणों का निस्तारण उभयपक्ष की सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निर्णित किये जाते है लेकिन प्रश्नगत प्रकरण में चुंकि पूर्व से ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

इसलिये लोकअदालत के दिन एकपक्षीय निर्णित/डिक्री पारित किया गया, लेकिन ऐसे किसी निर्णय एवं डिक्री के आधार पर निस्तारित प्रकरणों को लोकअदालत की भावना से लोकअदालत में निस्तारण की श्रेणी मे नहीं माना जा सकता है। अतः प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त की सर्व मान्यता के अनुरूप प्रकरण में उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक एवं विधि संगत होता है। साथ ही प्रकरण में प्रतिवादी हरदीन राम पर की गई तामिल सम्यक रूप से हुई हो इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं। लिहाजा प्रकरण में समुचित न्याय निर्णयन के लिये न्यायालय हाजा के राजस्व वादपत्र संख्या 135/2013 में प्रतिवादी हरदीन राम के विरूद्ध दिनांक 10.06.2013 को हुई एकपक्षीय कार्यवाही आदेश अपास्त करते हुये प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 14.10.2019 को अपास्त करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना तथा राजस्व वादपत्र संख्या 135/2013 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर पत्रावली प्रतिवादी जवाबदावा में नियत किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–::आदेश::–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखुबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा के राजस्व वादपत्र संख्या 135/2013 में प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्ध दिनांक 10.06.2013 को किया गया एकपक्षीय कार्यवाही आदेश एवं प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 14.10.2019 को अपास्त किया जाता हैं। राजस्व वादपत्र संख्या 135/2013 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर पत्रावली प्रतिवादी जवाबदावा में नियत कि जावे। प्रार्थनापत्र इसी मुताबिक निर्णित होकर बादतकमील संख्या से एक कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 07/09/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested